न्यूज़ लेटर
सेतु
सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef for every child

Centre for Child Protection

दिसम्बर – 2019 • अंक : 17

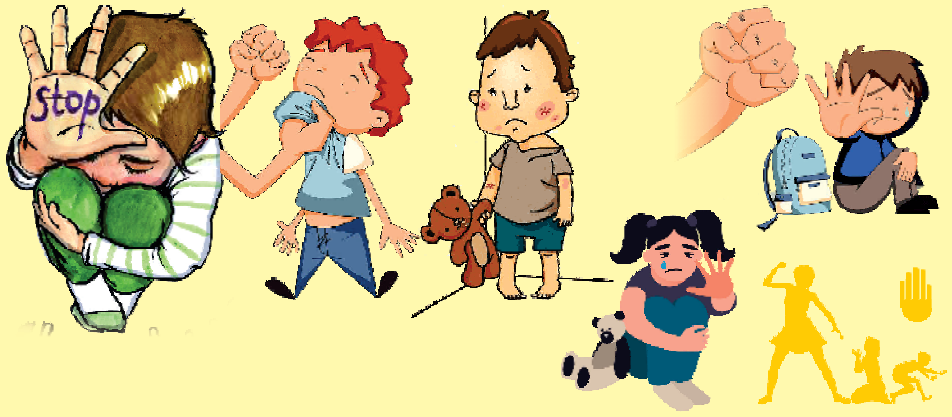

हिंसा के विरुद्ध बचपन

निदेशक की कलम से ...

हमारी त्रैमासिक समाचार पत्रिका का केन्द्र बिंदु सदैव उन विषयों पर आधारित होता है जो मानव जीवन के अतीत–वर्तमान एवं भविष्य के समग्र स्वरुप को समझने में सहायक हैं। 'हिंसा के विरुद्ध बचपन' भी ऐसा ही एक विषय है। बच्चों को छोटी से गलती करने पर उस आयु से बड़े परिजनों द्वारा पीटा जाना और फिर यह तर्क देना कि 'यदि पीटते हैं तो स्नेह व प्यार भी तो तुमसे ही करते हैं' और 'इसलिए पीटा है ताकि भविष्य में तुम यह गलती फिर न करो, हमारा ऐसा सोचना वस्तुतः 'बचपन के विरुद्ध हिंसा' को अनौपचारिक वैधता प्रदान करना है। हिंसा वास्तव में एक सामाजिक व्यवहार है जिसमें 'स्व' को अथवा 'अन्य' को किसी सामूहिक उद्देश्य की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है जिसे 'आघात' की संज्ञा दी जाती है। यह हिंसा शाब्दिक, मनो–भावनात्मक, मानसिक एवं शारीरिक प्रकृति की हो सकती है। समाज में हिंसा की व्यापकता इतनी अधिक है कि संघर्ष के प्रकार्यवादी सिद्धांतकार एक तरफ तो 'यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिये' के विचार को प्रस्तुत करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 'शांति एवं अहिंसा के मूल्य' हिंसा के विरुद्ध के वैश्विक दर्शन बन 'अहिंसा परमो धर्मः' के विचार को सभ्यता का पर्याय बना देते हैं।

'बच्चों के विरुद्ध हिंसा' को मानवता एवं शालीनता के विरुद्ध गंभीरतम आक्रमण की संज्ञा दी जा सकती है। यह हिंसा (चाहे कैसी भी हो) बच्चे के व्यक्तित्व में भय, असुरक्षा, हीनता, अलगाव एवं बिखराव को स्थापित करती है और अनेक बार उस बच्चे को विचलन एवं अपराध के विश्व में धकेल देती है। हिंसा वस्तुतः शक्तिशाली वर्ग का शक्ति प्रदर्शन है, जो अनेक स्थितियों में 'निर्बल' को सामूहिक एकता में धकेल कर उसे प्रतिहिंसा के लिए प्रेरित या बाध्य कर देता है। शारीरिक हिंसा के बाद बच्चों का घर से भाग जाना, विद्यालय में शारीरिक हिंसा के कारण बच्चे का अवसाद में चले जाना, हिंसा के फलस्वरूप बदला लेने की प्रवृत्ति का उत्पन्न होना से लेकर युद्ध की स्थिति में बच्चों पर अनेक अमानवीय अत्याचार इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं जो बचपन के विरुद्ध हिंसा को स्थापित करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखने की जरुरत है कि बचपन के विरुद्ध हिंसा सृजनशीलता एवं अबोधता को तबाह करती है और भविष्य में व्यस्क अपराध, आतंकवाद, यौनिक अत्याचार एवं अराजकता की स्थितियों का एक कारण भी बन जाती है।

इन प्रतिकूल सामजिक दृष्टि से विपथगामी स्थितियों का सामना करने के लिए 'हिंसा के विरुद्ध बचपन' को आन्दोलन का रूप दिए जाने की आवश्यकता है। हिंसा के विरुद्ध बचपन का यह सार्वजनकीकरण पुलिस एवं सैन्य बल सहित समाज के विभिन्न अंगों को विभिन्न मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाएगा। बचपन के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति के लिए 'हिंसा के विरुद्ध बचपन' के प्रयासों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हिंसा के विरुद्ध बचपन वास्तव में हमारे स्वाधीनता सैनानियों के उस दर्शन का भाग है जिसमें शांति एवं अहिंसा के द्वारा समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया उभार लेती है। 'सेतु' का वर्तमान अंक इस विषय को आपकी चेतना का भाग बनाने का एक विनम्र प्रयास है।

राजीव शर्मा (आईपीएस)
निदेशक, सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन, जयपुर।

संस्करण के मुख्य बिंदु

- हिंसा और बच्चे
- बच्चों के खिलाफ हिंसा के प्रकार
- हिंसा और संबंधित जोखिमों को प्रभाव
- रोकथाम और प्रतिक्रिया
- हिंसा के खिलाफ गाँधी की आवाज
- समाचार क्लिप
- तीन माह की गतिविधियां

: सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन, सेटेलाईट कैम्पस, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जयपुर

हिंसा और बच्चे

किसी भी रूप में हिंसा मानवता के खिलाफ है। यह सृजनात्मकता में योगदान देने वाले सभी घटकों को नष्ट कर देती है। बुद्ध, महावीर, अकबर, गांधी, नेहरु, अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के जीवन में अहिंसा के महत्व को रेखांकित किया है। दुर्भाग्य से, हिंसा हर जगह पर मौजूद है। निराशा के वर्तमान दौर में हिंसा का अनुभव एवं अवलोकन किया जा सकता है, साथ ही इसे सामान्य रूप से समाज के सभी लोगों के खिलाफ और विशेषकर हाशिए के समुदायों के संदर्भ में स्पष्टता से देखा जा सकता है। बच्चों के साथ होने वाली हिंसा वास्तव में एक वैश्विक समस्या है। यह परिवारों और समाज के सभी समूहों को प्रभावित करती है। हिंसा से पैदा हुए आघात का बच्चों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। हिंसा न केवल उनके शारीरिक विकास में बाधक होती है, बल्कि उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। शिक्षण में बाधा का अनुभव, विद्यालय में उपलब्धियों के क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करना, स्वयं के सम्मान में कमी का अनुभव एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास न होना हिंसा के वे प्रभाव हैं जो बच्चों पर पड़ते हैं। यह प्रभाव बच्चों पर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यन्त रहता है। जो बच्चे अपने घरों, समुदाय अथवा परिवेश में हिंसा को देखते और महसूस करते हैं, उनकी यह धारणा बन जाती है कि हिंसा से भी विवादों का निराकरण किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, वे अपने भावी जीवन में जीवनसाथी, बच्चों और अपने सामाजिक दायरों में हिंसा के व्यवहार को दोहराते हैं। बच्चे इस हिंसा को जब झेलते हैं तब वे उम्र में छोटे होते हैं और इसे समझ नहीं पाते, वे इसके विषय में बताने में भी असमर्थ होते हैं या कई कारणों की वजह से वे बता नहीं पाते हैं। इस तरह यह कहना शायद सही होगा कि इस प्रकार का व्यवहार हिंसक व्यक्तित्व पैदा करता है जो सामाजिक सद्भाव को आघात पहुंचाता है और कानून–व्यवस्था के समक्ष समस्याएं पैदा करता है।

तथ्य और आंकड़े

- हर पांच मिनट में एक बच्चे की हिंसा से मौत हो जाती है। (बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की वैश्विक भागीदारी 2016)
- **एक अरब बच्चे** –2 से 17 वर्ष के आयु समूह के आधे से अधिक बच्चे भावनात्मक, शारीरिक और यौन हिंसा से गुजरते हैं। (डब्ल्यूएचओ 2016)
- **10 में से एक लड़की** –20 से कम उम्र की 12 करोड़ लड़कियां जबरन यौन कृत्य के उत्पीड़न का शिकार होती हैं। (यूनिसेफ2014)
- **दुनिया में हर दसवां बच्चा** – 250 मिलियन अर्थात लगभग 25 करोड़ बच्चे संघर्षों से प्रभावित देशों में रहते है। (यूनिसेफ2016)

https://www.sos-childrensvillages.org/end-violence-overview

बच्चों के खिलाफ हिंसा के प्रकार

बच्चों के साथ हिंसा माता–पिता, साथियों, शिक्षकों, पड़ोसियों, अभिभावकों, अपरिचित व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिसमें कभी–कभी युद्ध के समय या युद्ध जैसी स्थिति में राज्य की एजेंसियां भी शामिल हो जाती हैं। अन्य शब्दों में, हिंसा घर की दहलीज के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकती है। हिंसा के अनेक प्रकार होते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पूरे जीवनभर पड़ता है। हिंसा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं–

मनोवैज्ञानिक हिंसा –इस प्रकार की हिंसा का तात्पर्य ऐसे व्यवहार से है जो बच्चों की समग्र चेतना को प्रभावित करती है। उन पर मानसिक दबाव और तनाव इतना हावी होता है, कि इसके कारण स्वस्थ मानसिक विकास बाधित हो जाता है। उपहास करना, धमकी देना या किसी भी प्रकार का भेदभाव करना मनोवैज्ञानिक हिंसा के प्रकार हैं। इसमें ऐसा व्यवहार भी शामिल है जो बच्चों को शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाता लेकिन उनको अदृश्य आघात पहुंचाता है। टेलीविजन पर और फिल्मों में हिंसा को बहुत अधिक चित्रित किया जाता है जो बाह्य आक्रामक व्यवहार को उत्पन्न करता है।

शारीरिक हिंसा – अगर किसी भी बच्चे पर शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसकी प्रकृति यौनिक हो या गैर–यौनिक, उसे शारीरिक हिंसा माना जाता है। इसमें पोर्नोग्राफी और बलात्कार भी शामिल हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ऐसी शारीरिक हिंसा के शिकार हो सकते हैं।

दुराचार – 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अनादर करना, शारीरिक दुर्व्यवहार और उनके साथ भावनात्मक अपशब्दों का प्रयोग करने को दुराचार कहा जाता है। दुराचार के बच्चों पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं और इससे बच्चे के अस्तित्व, वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य, गरिमा आदि की वास्तविक या संभावित हानि हो सकती है।

भयभीत करना – भयभीत करने में साइबर भय का पक्ष भी शामिल है। यह एक अवांछित व्यवहार है जो बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावित करता है और हिंसा इसका एक आम रूप है। खेल अथवा मित्र समूह में अन्य बच्चों के आक्रामक रूप का मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब बच्चों पर पड़ता है। किसी को भयभीत करने के सबसे आम तरीके हैं कि समाज या समूह से किसी के संबंध तोड़ दो और उसे अलग जीवन जीने को बाध्य कर दो।

उपेक्षा – यह बाल दुर्व्यवहार के सामान्य रूपों में से एक है। उपेक्षा का संदर्भ है बच्चों को बुनियादी जरूरतों जैसे कि भोजन, शिक्षा, कपड़े, स्वास्थ्य की देखभाल की उचित व्यवस्था एवं सुरक्षा आदि से वंचित करना। माता–पिता या पालकों द्वारा इस तरह की देखरेख के अभाव और उपेक्षा से बच्चों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से व्यापक नुकसान पहुंचता है।

हिंसा और इससे संबंधित जोखिमों का प्रभाव

हिंसा के प्रभाव और परिणाम अलग–अलग प्रकृति के होते हैं जो बच्चे के साथ होने वाले व्यवहार की प्रकृति एवं प्रकार पर निर्भर करते हैं। बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न तरह की हिंसा के मुख्य और सामान्य परिणाम निम्नानुसार हैं –

चोट और मौत –बच्चों द्वारा सही जाने वाली हिंसा से उन्हें चोटें आ सकती हैं और अन्य तरह के शारीरिक नुकसान हो सकते हैं। हिंसा का अधिक तीव्र और आक्रामक रूप बच्चे की मौत का कारण भी बन सकता है।

संज्ञानात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव – बच्चों के विकास के शुरुआती दौर में यदि उनके साथ माता–पिता, अभिभावकों, पालकों, सहकर्मियों आदि के द्वारा नकारात्मक व्यवहार किया जाता है तो इसका उनके सज्ञांनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे मानसिक विकास बाधित हो सकता है या नर्वस सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) के किसी भाग को नुकसान हो सकता है। मस्तिष्क के विकास के बिगड़ने से शरीर के अंग भी इससे प्रभावित होते हैं जिसके दीर्घकालिक घातक परिणाम होते हैं।

नकारात्मक जवाबी व्यवहार – जब बच्चे अपने पर होने वाले दुर्व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वे धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं, घातक प्रकृति की यौनिक गतिविधियों जैसी मनोविकारी गतिविधियों में स्वयं को शामिल कर लेते हैं। इस तरह के बच्चों में तनाव, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्तियों के साथ, कई तरह की मानसिक समस्याओं का विकास हो जाता है।

बीमारियों की शुरुआत और रोगी बनना – बच्चों का जैसे–जैसे विकास होता है, उनमें मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियां, मस्तिष्क की समस्याएं, सांस की परेशानी, मांसपेशियों में जलन, शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द आदि की बढ़ती हुई संभावनाओं के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य की ये जोखिमें हिंसा से जुड़ी हुई हैं और नकारात्मक जवाबी प्रणाली के परिणाम हैं।

हिंसा के अन्य रूप – हिंसा के अन्य रूपों में लैंगिक हिंसा, घरेलू/पारिवारिक हिंसा, किशोर और स्कूली हिंसा, ग्रामीण/शहरी/आर्थिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, धार्मिक/जातिवादी/नृजातीय हिंसा, मौखिक/भाषायी हिंसा, आतंकवाद और मॉब लींचिंग आदि शामिल हैं।

यद्यपि यहां पर हिंसा के सामान्य परिणामों की चर्चा की गई है, परंतु वे सिर्फ ऊपर वर्णित परिणामों तक ही सीमित नहीं हैं। इन परिणाम और परिणामों का स्तर बच्चे के साथ किये गए व्यवहार के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर निर्भर करता है।

रोकथाम और प्रतिक्रिया

सभी बच्चों के पास हर तरह ही हिंसा से संरक्षण का अधिकार है। यूएनसीआरसी (दि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दि राइट्स ऑफ दि चाइल्ड) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक और मंच बच्चों को सभी तरह की हिंसा से संरक्षण की गारंटी देते हैं। यह हर तरह से सच है कि बच्चों के साथ होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है। इसे रोकने के लिए सबसे आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्तर पर/परिवार/रिश्तेदार/अभिभावक/समुदाय और समाज के स्तर पर चुनौतिपूर्ण स्थितियों और इनको रोकने की रणनीतियों के व्यवस्थित प्रयास किये जायें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में दस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के उन्मूलन की रणनीति बनाई है। इस तकनीकी पैकेज को INSPIRE के नाम से जाना जाता है। ये रणनीतियां निम्नानुसार हैं[1]–

- I. कार्यान्वयन और कानून एवं धरातल पर कानूनी व्यवस्था स्थापित करना
- N. प्रतिमानों और मूल्यों में परिवर्तन
- S. बच्चों के लिए सुरक्षित और भयरहित वातावरण
- P. माता–पिता और अभिभावक/पालकों द्वारा संबल प्रदान करना
- I. आय और आर्थिक मजबूती
- R. उत्तरदायी सेवाओं का प्रावधान
- E. शिक्षा और जीवन कौशल

[1] *https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children*

न्यूज लेटर
सेतु
दिसम्बर – 2019 अंक : 17

हिंसा के खिलाफ गाँधी की आवाज़

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अहिंसा की विचारधारा के रूप में गाँधी की आत्मा अभी भी जीवित है। गांधीय दर्शन आचरण को निर्देशित करता है। सत्य और अहिंसा जैसे जरूरी मूल्यों को स्थापित करने के लिए उनके द्वारा किये गये साहसिक प्रयासों से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। उनके प्रयास और विचारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मान्यता प्राप्त है। उनके द्वारा दिये गये संदेशों में निहित मूल्यों को गांधीय दर्शन कहा जाता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति के परिवर्तन के माध्यम से समाज को रुपांतरित करना है। यह अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर केंद्रित है। मानव का समग्र कल्याण इसका केंद्रीय बिंदु है। इसमें जाति, वर्ग, नस्ल, पंथ, लिंग, भाषा, धर्म आदि का पूरी तरह से निषेध है और इससे यह एक मजबूत सामाजिक दर्शन का आधार तैयार करता है। गांधी हमेशा ही समतामूलक समाज के विचार के पक्षधर रहे[2]। मनुष्य के अस्तित्व का आधार ही गांधी के अहिंसा के स्तम्भ के मूल तत्व हैं यानि कि इसमें समझ, प्रशंसा, सम्मान, करुणा और स्वीकार्यता शामिल हैं। इन सभी मानव के बुनियादी लक्षणों का यदि कोई धार्मिक अनुसरण और विकास करता है तो हर किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ऐसा करने से वह न केवल स्वयं को खुश और संतुष्ट कर पाता है बल्कि दूसरों के जीवन और सामाजिक संबंधों पर एक सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। महात्मा गांधी के अनुसार, ''अहिंसा मेरे विश्वास का पहला आधार है। यह मेरे पंथ/मत का अंतिम आधार भी है[3]।'' बच्चों और बचपन के खिलाफ होने वाली हिंसा के विरोध में दुनियाभर के बच्चों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के आंदोलनों और कई प्रदर्शनों में बच्चों की भागीदारी जैसे बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला बनाना, स्कूल परिसरों के बाहर प्रदर्शन, दहेज और बाल–विवाह के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित करना, युद्ध और जातीय/धार्मिक संघर्ष का विरोध करना, अपने माता–पिता के साथ गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेना और 'हिंसा के खिलाफ बचपन' का गठन करना शामिल है।

2 अक्टूबर 2019 को देशभर में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। इस दिन को 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में भी मान्यता दी गई है। गांधी के द्वारा प्रचारित मूल्यों को अपनाने से मनुष्य जिस हिंसा, क्रोध, लालच, सामाजिक अशांति, जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, उनसे निश्चित रूप से निजात मिलेगी और यह मानव सभ्यता के लिए एक वरदान साबित होगा।

ग्रेटा थंनबर्ग ने यूएन क्लाइमेट सत्र में विश्व के नेताओं को बताया – 'यह सब गलत है'

'मेरा संदेश है कि हम आपको देख और परख रहे होंगे।

यह सब गलत है। मुझे यहां नहीं होना चाहिए। मुझे महासागर के दूसरी तरफ स्कूल मे होना चाहिए। आप सभी लोग आशा के लिए हम युवाओं के पास आते है। आपकी हमारे पास आने की हिम्मत कैसे होती है!

''आपने अपनी खोखली बातों से मेरा बचपन छीना है। फिर भी भी मैं कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से हूं। लोग पीड़ित हैं। लोग मर रहे हैं। पूरा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो रहा है। हम लोगों की सामूहिक विलुप्ति का दौर शुरु हो गया है और आप सभी धन और बेतहाशा आर्थिक वृद्धि की जादूई कहानियां कह रहे हैं। आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे होती है?

''30 से अधिक वर्षों से वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। आपका इसे नज़रअंदाज करने का साहस कैसे हुआ और यह कहते रहना कि आप काफी कुछ प्रयास कर रहे हैं। जिस राजनीति और समाधान की जरुरत है, वह कही भी नजर नहीं आ रही हैं।''

''आप कहते हैं कि आप हमारी सुनते हैं और अविलम्बता को समझते हैं। लेकिन मैं कितनी भी दुखी और नाराज क्यों न हो, मैं आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर आप वास्तव में स्थिति को समझते हुए भी उसके बारे में कोई पहल नहीं करेंगे, तो आप बुरे होंगे। और इसलिए मैं यह विश्वास करने से इंकार करती हूं।''

केस स्टडी

''लगभग एक साल पहले एक बचाव अभियान चलाया गया था जिसमें रूपावास से करीब तेरह बच्चों को विभिन्न कार्य स्थितियों से मुक्त कराया गया था। ये बच्चे 8–16 आयु वर्ग के थे और आय सृजित करने वाली विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए थे। ये बच्चे कालीन और फर्नीचर कारखानों में, सड़क किनारे ढ़ाबों पर, मजदूरों के रूप में, सड़कों पर खाने–पीने का सामान बेचते, जूस की दुकानों पर काम करते हुए पाए गए। सुरक्षा के लिहाज से इन सभी बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। इस बचाव अभियान के बाद बच्चों से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ की गई। कुछ बच्चों को तो उनके परिवार वालों ने काम पर भेजा था और कुछ घर से भागकर आए थे क्योंकि वे स्कूल नहीं जाना चाहते थे और पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। चूंकि वे गरीब थे, वे अपना खर्चा निकालने के लिए कमाना चाहते थे। ऐसे बच्चे अपने काम के क्षेत्र में वापस जाना चाहते थे। उन्हें यह समझाना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण था कि वे बाल श्रम में फंस गए हैं और अपने जीवन को बर्बादी की तरफ स्वयं ले गए हैं। हमने चाइल्डलाईन से सम्पर्क किया, मामला दर्ज किया गया और बच्चों को काम पर रखने के जुर्म में नियोक्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इन सभी बच्चों के माता–पिता को चाइल्डलाइन द्वारा बुलाया गया और उनकी काउंसलिंग की गई। बाद में बच्चों को उनके माता–पिता को सौंप दिया गया।''

ओम प्रकाश यादव
ए.एस.आई., धौलपुर

[2] *https://www.mkgandhi.org/articles/murphy.htm*
[3] *https://gandhi.gov.in/lesson-for-society.html*

केस स्टडी

''14 साल की उम्र का महेश* जयपुर के पास एक गांव में रहता है। घर में उसके पिता, दो भाई, दो बहन और दादा–दादी हैं। उसने दस बरस पहले अपनी मां को खो दिया था। उसकी सबसे बड़ी बहन घर का काम संभालती है। उसके दोनों भाई और एक छोटी बहन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। महेश भी खुद के लिए काम करने का फैसला लेने और पैसा कमाने से पहले उसी स्कूल में पढ़ता था। उसके पिता खेतों में काम करते हैं और उसी से आठ लोगों का परिवार चलाते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में वह चार बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे थे। महेश ने अपने पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने खर्च के लिए पैसा कमाने की इच्छा से स्कूल छोड़ने का फैसला किया। उसके पिता और दादा–दादी ने उसके फैसले का समर्थन नहीं किया और उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इसके चलते उसने भागने का फैसला लिया ताकि कोई उस पर दवाब न डाल सके। उसके परिवार द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरु कर दी। कुछ दिनों की खोज के बाद वह गांव के पास कहीं काम करता पाया गया। हमने उसे परामर्श दिया और उसे बताया कि उसका यह निर्णय बाल श्रम की श्रेणी में आता है। उसके पिता को बुलाया गया और उनके साथ बच्चे को वापस भेज दिया गया। महेश के नियोक्ता को हिरासत में लिया गया और अन्य अधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई की गई।''

–अभिजीत कुमार

एएसआई, धौलपुर

**वास्तविक नाम बदल दिये गए है।*

समाचार क्लिप

चाइल्ड केयर होम्स (बाल संरक्षण गृहों) में हजारों बच्चों का 18 वर्ष का हो जाना एक बुरे स्वप्न जैसा[4]

16 नवम्बर 2019, बिजनेस स्टैंडर्डः उदयन केयर नामक संस्था ने यूनिसेफ, टाटा ट्रस्ट्स और नमूने के तौर पर चुने पांच राज्यों की सरकारों के सहयोग से एक शोध किया। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक राज्य शामिल थे। युवा लोग सामंजस्य हेतु संघर्ष करते है और अनेक बार सामाजिक बहिष्करण का शिकार होकर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते है जिस पर उपयुक्त रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। अनिश्चितता एवं बेकारी के चरणों के कारण न तो वें स्वतंत्र रह पाते है और ना ही वे जान पाते है कि किस पर विश्वास करे। यह भी सामने आया कि कई सरकारें और साथ में उनके संभावित अधिकारी युवाओं की आफ्टरकेयर से संबंधित कानूनी प्रावधानों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं। जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं वे सब 'आफ्टरकेयर' के हकदार होते हैं। यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (बच्चों की देखभाल और प्रावधान) द्वारा अनिवार्य किया गया है और बाल संरक्षण योजना में भी शामिल है। 21 साल की उम्र तक युवा राज्य की जिम्मेदारी हैं और राज्य उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान करता है। लेकिन अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार तकरीबन 27 प्रतिशत बच्चों ने खुलासा किया कि उन्हें किसी भी रूप में 'आफ्टरकेयर' प्रदान नहीं किया गया और उनमें से 44 प्रतिशत ने बताया कि उनकी देखभाल और पुनर्वास से संबंधित योजना में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई।

राजस्थान सरकार की भिक्षा–मुक्त राजधानी सुनिश्चित करने की योजना[5]

3 अगस्त 2019, जयपुर : सरकार एक योजना शुरु करके जयपुर को 'भिक्षा मुक्त राजधानी' बनायेगी जिसमें भिखारियों के पुर्नवास की योजना भी शामिल होगी। इस योजना पर एक वित्तीय परिव्यय भी होगा। भिखारियों को पुनर्वास केंद्रों से भागने से रोकने के लिए उन्हें कौशल विकास और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

युवा लोग सामन्जस्य हेतु संघर्ष करते हैं और अनेक बार सामाजिक बहिष्करण का शिकार होकर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं जिस पर उपयुक्त रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। अनिश्चितता एवं बेकारी के चरणों के कारण न तो वे स्वतंत्र रह पाते हैं और न ही वे जान पाते हैं कि किस पर विश्वास करें।

[5] *https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/govt-scheme-to-ensure-beggar-free-capital/articleshow/70505455.cms*
[4] *https://www.business-standard.com/article/current-affairs/for-thousands-in-childcare-homes-turning-18-is-a-nightmare-here-s-why-119111601292_1.html*

तीन माह की गतिविधियां

गांधी जयंती पर सत्र

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर SPUP के सैटेलाइट कैंपस में एक संक्षिप्त सत्र का आयोजन किया गया। CCP के वरिष्ठ अकादमिक सलाहकार डॉ. राजीव गुप्ता ने गांधीजी के जीवन और देश के लिए उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन और सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सभी साथियों ने भाग लिया और कुछ ने आज के दौर पर गांधीय समय के प्रभावों पर अपने विचार साझा किये।

17 से 19 नवम्बर 2019 तक धौलपुर में क्षमतावर्धन कार्यक्रम

धौलपुर में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (CWPOs), विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (SJPUs), एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) और विशेष लोक अभियोजकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का औचित्य प्रतिभागियों को बाल सुरक्षा और संरक्षण के मुद्दों के बारे में दिशानिर्देशित करना और संवेदनशील बनाना था। प्रशिक्षण में POCSO एक्ट, जेजे एक्ट, बाल मनोविज्ञान और विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। इसमें पुलिस की भूमिका और बच्चों के बारे में आगे की कार्यवाही के लिए संदर्भित करने की भूमिका पर भी चर्चा की गई। धौलपुर एस.पी. श्री मृदुल कच्छावा ने प्रतिभागियों के साथ संवाद किया और खास तौर पर बच्चों के संदर्भ में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरुक किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में श्री धीरज वर्मा, प्रशिक्षक–आरपीए, सुश्री प्रद्न्या देशपांडे, बाल मनोवैज्ञानिक और सीसीपी टीम के सदस्य शामिल थे। श्री शक्ति सिंह, सदस्य सचिव, धौलपुर ने प्रतिभागियों को पीड़ित मुआवजा योजना और कानूनी सेवा प्राधिकरण की भूमिका के विषय में शिक्षित किया।

बाल अधिकार सप्ताह का उत्सव (14 से 20 नवम्बर 2019)

सीसीपी ने विभिन्न संस्थानों में बाल अधिकार सप्ताह मनाया। 14 नवम्बर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें एक वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी था। यह कनोड़िया गर्ल्स पीजी कॉलेज में आयोजित की गई जिसमें लगभग 250 छात्राओं ने भाग लिया। इस वाद–विवाद प्रतियोगिता का विषय 'बाल संरक्षण किसकी जिम्मेदारी – राज्य या समाज' था। इसी दिन एक अन्य संवादात्मक कार्यक्रम जयपुर में आरपीए में 'बाल संरक्षण और पुलिस की भूमिका' पर आयोजित किया गया। यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ श्री संजय निराला ने प्रतिभागियों से संवाद किया और वर्तमान परिदृश्य में बाल सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। शाम को सीसीपी टीम बाल दिवस मनाने के लिए टाबर सोसायटी गई। बच्चों ने बचपन के महत्व और बच्चों के जीवन पर बाल श्रम के दुष्प्रभाव पर एक नाटक प्रस्तुत किया। 17 नवम्बर को सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में बाल अधिकार पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया और 18 नवम्बर को भवानी निकेतन गर्ल्स पीजी कॉलेज, जयपुर में पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीसीपी द्वारा संयोजित इन दोनों आयोजनों में विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। 20 नवम्बर को सेन्टर में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। एक स्थानीय एनजीओ से करीब 30 बच्चों को आमंत्रित किया गया जिनके साथ आरपीए के निदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी (IPS) ने बाल दिवस और बुनियादी अधिकारों के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान एक नाटक का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने केंद्र को संभालने और सीसीपी के सदस्यों की भूमिका का अभिनय किया।

बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स की चौथी सम्पर्क कक्षायें

सीसीपी ने 23 और 24 नवम्बर को बाल संरक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स की चौथी सम्पर्क कक्षा आयोजित की। पिछली कक्षाओं में पढ़ाये गये पाठ्यक्रम की संक्षिप्त पुनरावृर्त्ति के बाद कोर्स प्रतिभागियों के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म (निगरानी तंत्र) राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रमों की कल्याणकारी योजनाओं जैसे विषयों को शामिल करते हुए कक्षायें संचालित की गईं। इन कक्षाओं के सूत्रधार बाल संरक्षण के विशेषज्ञ श्री धर्मवीर यादव, आरपीए प्रशिक्षक श्री धीरज वर्मा और राजस्थान श्रम विभाग के संयुक्त श्रम आयुक्त श्री प्रदीप कुमार झा थे।

आरपीए, जयपुर में 24 नवम्बर 2019 को सीएलजी सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीपी द्वारा 24 नवम्बर 2019 को बाल संरक्षण विषय पर जागरूकता और क्षमतावर्धन के लिए सीएलजी सदस्यों की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। सीएलजी सदस्यों की बाल संरक्षण में भूमिका और जिम्मेदारियों एवं चुनौतियों पर चर्चा की गई। यह बातचीत बाल संरक्षण से जुड़े व्यवहारिक समाधानों पर आधारित थी।

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन की सलाहकार समिति की बैठक

11 नवंबर 2019 सोमवार को 11.30 बजे पुलिस हेड क्वाटर, जयपुर के क्रॉन्फ्रेंस हॉल में सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन (CCP), सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय ने अपनी दूसरी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया। सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता श्री राजीव शर्मा (IPS), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) और CCP-SPUP के निदेशक ने की। इस बैठक में राजस्थान पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह (IPS), श्रीमती संगीता बेनीवाल, चेयरपर्सन, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर और सुश्री इसाबेल बार्डेम, चीफ, यूनिसेफ, राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों से 30 सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक में सीसीपी की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई।

25 नवम्बर 2019 को एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (CWPOs) के साथ बैठक

सीसीपी द्वारा ADCP श्री धर्मेन्द्र सिंह सागर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें 13 एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के सदस्यों (AHTU) और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (CWPOs) ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बैठक का एजेंडा बाल श्रम से संबंधित एफआईआर को मजबूत करना था।

26–27 नवम्बर 2019 को स्कूल प्रबंधन समितियों (उत्तर) के साथ बैठक

स्कूल प्रबंध समितियों के साथ बैठक जयपुर के शास्त्री नगर के द्वारकापुरी में आयोजित की गई। बैठक में करीब 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक का विषय स्कूल छोड़ने वाले बच्चों से मुखातिब होना, POCSO अधिनियम, बालश्रम आदि के बारे में जागरुकता पैदा करना था। इस समिति में माता–पिता और स्कूल के शिक्षक शामिल थे।

चित्र दीर्घा

PHQ में 11 नवम्बर 2019 को आयोजित सीसीपी सलाहकार समिति की बैठक

24 नवम्बर 2019 को आरपीए, जयपुर में सीएलजी सदस्यों का प्रशिक्षण

2 अक्टूबर 2019 को सीसीपी के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉ. राजीव गुप्ता का गांधीवादी दर्शन पर व्याख्यान

17 से 19 नवम्बर 2019 तक धौलपुर में आयोजित क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम

14 नवम्बर 2019 को आरपीए, जयपुर में 'बाल सुरक्षा और पुलिस की भूमिका' विषय पर आयोजित सत्र के बाद UNICEF रिसोर्स पर्सन के साथ सीसीपी टीम

20 नवम्बर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक स्थानीय एनजीओ के बच्चे

20 नवम्बर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के साथ श्री हेमन्त प्रियदर्शी (आईपीएस), निदेशक – आरपीए

14 नवम्बर 2019 को कनोडिया कॉलेज में सीसीपी द्वारा आयोजित वाद–विवाद प्रतियोगिता

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur *Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/*

'सेतु' सलाहकार बोर्ड व वरिष्ठ सलाहकार – सीसीपी

डॉ. राजीव गुप्ता
पूर्व प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
अध्यक्ष, सेतु सलाहकार बोर्ड व
वरिष्ठ सलाहकार–सीसीपी

डॉ. संजय निराला
बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ

डॉ. मंजू सिंह
विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग,
वनस्थली विश्वविद्यालय

श्री के.के. त्रिपाठी
वरिष्ठ सलाहकार–सीसीपी

श्री राधाकान्त सक्सेना
आईजी कारवास (रिटायरर्ड)

संपादक
अदिति व्यास
कन्सल्टेंट–रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, सीसीपी जयपुर

योगदान व सहयोग
सीसीपी टीम

हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों के संबंध में अपने ज्ञान में बढ़ोत्तरी करने के लिए बाल संरक्षण का एक अल्पकालीन कोर्स करें।

सीसीपी के बारे में और सेंटर द्वारा प्रस्तावित कोर्सेज़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाईट देखें:
http://www.centreforchildprotection.org

आप हमें इस नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं : +91 8619672924 / 0141–2300758

हम अपने पाठकों से भी बाल संरक्षण विषय से जुड़े आर्टिकल, लेख, केस स्टडीज़, सफलता के किस्से, सुझाव इत्यादि आमंत्रित करते हैं। कृपया अपनी प्रविष्टियाँ आप इस ईमेल पते पर भेजें : writetoccpjaipur@gmail.com

Newsletter

Setu

Dedicated to Child Protection
by Centre for Child Protection (CCP)

unicef for every child

Centre for Child Protection

December 2019 • Edition 17

Childhood Against Violence

From The

Director's Desk

The central focus of our quarterly newsletter SETU, is always on subjects which are helpful in understanding the whole form of past- present and future of human life with children at core. 'Childhood Against Violence' is one such issue. Beating the child even upon committing a small mistake and then justifying "if we beat you, we love you too" and "you are beaten so that you don't commit this mistake ever again in the future", may tend to provide 'violence against childhood' an informal validity. Violence is actually a social behaviour in which 'self' or 'other' is harmed in some way in view of a collective objective and is termed as 'damage/ injury'. This violence may be of verbal, psycho-emotional, mental and physical in nature. The intensity of violence in the society has reached to an extent that 'functional conflict' has appeared as theory which states, 'if you want peace, prepare for war' as one of the foundational premises. On the other hand, the values of peace and non-violence constitute the 'Philosophy Against Violence' and endorse 'Ahinsa Parmo Dharma' (Non-violence is Supreme Mortality) as base of civilization.

Highlights of the Edition

- Violence and Children
- Types of Violence Against Children
- Impact of Violence and Associated Risks
- Prevention and Response
- Gandhi Speaks Against Violence
- News Clips
- Activities of the Quarter

'Violence against Children' could be termed as the most serious attack against humanity and modesty. This violence (no matter what kind of it is) establishes fear, insecurity, inferiority, alienation and disintegration in the personality of the child and many times pushes that child into the world of deviance and crime. Violence in real sense is expression of power which in several situations compel powerless to enter into intra-group solidarity and introduce or initiate 'counter violence'. Children's elopement from home after physical violence, feeling of depression due to physical abuse done in school, development of feeling to take revenge are such examples which establish violence against childhood. We need to keep this in mind that violence against childhood destroys the creativity and innocence and in the future, may indirectly lead to situations of crimes committed by adults, terrorism, sexual exploitation and anarchy.

To counter the adverse situations with favourable and social view, 'childhood against violence' need to be in the form of a movement. The universalization of childhood against violence, would sensitize the Police and Military Forces along with various sections of the society, on various issues. Since these issues are instrumental in ensuring safe future of childhood. Thus, it is our prime responsibility to effectively control violence against childhood.

In actuality, childhood against violence, is a part of the philosophy laid down by our freedom fighters in which, the process of transformation in the society takes shape through peace and non-violence. The present edition of 'SETU' is a polite effort to make this subject a part of your consciousness.

Rajeev Sharma (IPS)
Director, Centre for Child Protection, Jaipur.

Newsletter
Setu
December 2019 • Edition 17

Violence and Children

Violence in any form is against humanity. It destroys those components which contribute to creativity. Buddha, Mahavir, Akbar, Gandhi, Nehru, Ambedkar, Nelson Mandela and Martin Luther King junior are some of those personalities which discussed the importance of non-violence in people's life. Unfortunately, violence is still persisting everywhere. In the present era of disappointment, violence can be experienced as well as observed against all in generaland against marginalised sections in particular. Violence against children is indeed a global problem. It affects families and all other groups of societies. The trauma created by the violence has long term effect on the children. It not only hampers their healthy physical development but also affects their mental and psychological health.They may experience learning difficulties, underperformance in school, low self-esteem, less developed personality, Children grow with the marks of violence throughout their lives. Children who have seen and experienced violence in their household or in the community and have grown in that kind of environment, tend to believe that violence is also a way to resolve disputes. As a result, they repeat this violent pattern of behaviour in the growing stages of their lives with their spouses, children and in their social network. The children experiencing this state are too young to understand the consequences of violent acts, they are unable to report or they do not want to report because of several reasons. Thus, it may be true to state that such kind of behaviour tends to give birth to violent personalities which attack on social harmony and create problems to law and order.

Facts & Figures

- Every five minutes a child dies from violence. [The Global Partnership to End Violence Against Children 2016]
- One billion children – over half of all children aged 2 to 17 – are estimated to have experienced emotional, physical and/or sexual violence. [WHO 2016]
- One in 10 girls – 120 million – under the age of 20 has been subjected to forced sexual acts. [UNICEF 2014]
- Nearly one in 10 children – 250 million worldwide – lives in a country affected by conflict. [UNICEF 2016]

https://www.sos-childrensvillages.org/end-violence-overview

Types of violence against children

Violence may be perpetrated on children by parents, peers, teachers, neighbours, guardians, strangers as well as sometimes by state agencies during war and war like situations, etc. in other words, it may put forward that violence may either be behind the doors or outside the door. Violence has many forms, as a result of which, children suffer throughout their lives. Major forms of violence are:

- **Psychological violence-** This kind of violence refers to a behaviour which hampers the overall psyche of the children. Mental pressure or stress is exerted on them due to which development of healthy mindset is refrained. Ridiculing, threatening, discriminating in any form are types of psychological violence. It also includes any other kind of behaviour which is non-physical in nature but leaves a child with unseen injuries. Violence is very much portrayed on television and in the movies which also leads to overt aggressive behaviour.
- **Physical violence-** If physical force is exerted to any child,whether sexual or non-sexual in nature, it is considered as physical violence. This is inclusive of pornography and rape. Both, girls and boys can be the victims of such physical violence.
- **Maltreatment-** A behaviour of misconduct exhibiting neglect and physical & emotional abuse with children below 18 years of age is called maltreatment. Maltreatment may have several implications on children and may lead to actual or potential harm to the survival, growth, development, health, dignity, etc. of the child.
- **Bullying-** Bullying, as well as cyber bullying, is an unwanted behaviour which affect a large number of children and is most common among several forms of violence. An aggressive form of behaviour, exerted within the peer

group by other children, can have psychological impact on the children. Isolation and social disconnect are most common implications of bullying.

- **Neglect-** As one of the commonest forms of child abuse, neglect refers to deprivation of children from basic needs such as food, education, clothing, proper health care facilities, safety, etc. In case of lack of such supervision and ignorance by parents or caregivers, the children get reasonably harmed physically and emotionally.

Impact of Violence and Associated Risks

The impact and consequences of violence are of varying nature and depend on the kind of behaviour exerted on the child. Prime and most common consequences of different forms of violence with children are as under:

- **Injury and death-** The violence experienced by children may result in injuries and other kind of physical harms to the child. More intense and aggressive form of violence may even cause death.
- **Negative impact on cognitive growth-** Negative behaviours performed by parents, caregivers, guardians, peers, etc. with the child in the early developmental stages of life have a negative impact on the cognitive development of the child. The mental growth is hampered or may damage the parts of nervous system. The development of brain is impaired in such a way that other organs of the body also get affected, having long term consequences.
- **Negative coping behaviour-** Not being able to handle the abuse, children indulge themselves into various pathological activities like smoking, alcohol & drug consumption, engagement in high-risk sexual activity. Such children also develop stress, anxiety and suicidal tendency along with other mental health problems.
- **Onset of diseases and ill health-** As the children grow older, there are higher chances to have severe and serious health conditions such as diabetes, cardiovascular diseases, problems related to brain, respiratory trouble, muscle irritation, pain in different parts of body, etc. These health risks are associated with violence and are the resultants of negative coping mechanisms.
- **Other forms of Violence-** Other forms of violence comprise of gender violence, domestic/ family violence/ juvenile & school violence, rural/ urban/ economic violence, political violence, religious/ caste/ ethnic violence, verbal/ linguistic violence, terrorism, mob lynching, etc.

Though the most common consequences of violence have been discussed, however, they are not limited to those discussed above. The results and their degrees depend on the kind of behaviour inflicted on the child and its physiological and psychological impact on him/ her.

Prevention and Response

All the children have the right to be protected from any kind of violence. As a fundamental right, the UNCRC (The United Nations Convention on the Rights of the Child) and other international standards and platforms, guarantees protection of children from all forms of violence. This is true in all senses that the violence done to children is preventable. In doing so, what is most required is systematic efforts for addressing the risk and preventive strategies at all levels such as at the individual himself/ herself, family/ relatives/ guardians, community and society. Ten International agencies, under the leadership of WHO, have developed strategies to end violence against children. This technical package is known as INSPIRE. The strategies developed are as under [1]:

[1] *https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children*

Newsletter
Setu
December 2019 • Edition 17

I- Implementation of laws and setting legal system in place
N- Norms and values change
S- Safe and Secure environment for children
P- Parental and guardian's/caregiver's support
I- Income & Economic Strengthening
R- Response services provision
E- Education and life skills

Gandhi Speaks Against Violence

This is an undeniable fact that Gandhi's soul is still alive in the form of his ideology of non-violence. The Gandhian philosophy is a guide to action. His heroic efforts for the establishment of essential values such as truth and non-violence are well known to all. His efforts and preaching are recognised at international platform as well. The messages conveyed in the form of his core values, are known as Gandhian philosophy.It is aimed at bringing transformation in the society, at individual level. It focuses and stresses on the principles of non-violence and truth. The overall welfare of the human beings is the only focal point. Race, class, caste, creed, gender, language, religion, etc. are completely forbidden and this creates the pillar of one of this strongest social philosophy. Gandhi always held the idea of an equitable society[2]. The basis of human being's existence are components of Gandhi's pillar of non-violence viz. understanding, appreciation, respect, compassion and acceptance. All these, being basic traits of human nature, can make a big difference in everybody's life, if developed and followed religiously. Doing so, not only makes oneself happy and content, but marks a major positive impact on others' lives as well in addition to our social relations. As per Mahatma Gandhi's quote "non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed".[3] Violence against child and childhood has been responded now by children all over the world. The movements of different kinds and several protests have involvement of children, like human chains by children, protests outside the school campuses, providing information to Police officials about child marriage and dowry, protests against war and caste/ religious conflicts, protests of children with their parents regarding unemployment and poverty, constitute 'Childhood Against Violence'.

The 02nd October, 2019 was celebrated country wide as the 150th anniversary of Mahatma Gandhi. The day is also recognized as 'International Non-violence Day'. As the human beings grapple with the violence, anger, greed, social disturbances, climate changes, to name a few, the adoption of values preached by him would certainly bring relief and prove to be a boon for human civilization.

'This Is All Wrong,' Greta Thunberg Tells World Leaders At U.N. Climate Session

"My message is that we'll be watching you.

"This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!

"For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.

"You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. And that I refuse to believe.

[2] *https://www.mkgandhi.org/articles/murphy.htm*
[3] *https://gandhi.gov.in/lesson-for-society.html*

Case Study

"About a year back, a rescue operation was done in which about thirteen children were rescued from different work situations in Rupawas. The children were somewhere between 8-16 years of age and were engaged in various income generation activities. These children were found to be working in carpet & furniture factories, on roadside dhabas on the highway, as labourers, selling eatables on the roads, on juice shops, etc. All these children were taken into custody for placing them into place of safety. After the rescue operation the children were enquired about their family background. Some of the children were sent at work by their families while few others had run from home as they did not want to go to school and continue their studies. Since they were poor, they wanted to earn for their own expenses. Such children wanted to go back to their workplaces. It was very challenging to counsel and convince them that they were trapped into child labour and had chosen to ruin their own lives. We contacted Childline, case was registered and procedure for arresting the employers was initiated for employing children at work. Parents of all the children were called by the Childline and their counselling was done. Later the children were handed over to the parents".

- Om Prakash Yadav
ASI, Dhaulpur

Case Study

"Mahesh* is about 14 years old, lives in a village near Jaipur. He has father, two brothers, two sisters and grandparents at home. He had lost his mother about 10 years back. His eldest sister takes care of the household work. Both his brothers and a younger sister study in Government school of the same village. Mahesh also used to go to the same school until when he decided to work and earn money for himself. His father works in agricultural field and runs a family of eight members. In difficult financial conditions, he was managing the education of four children. Observing the financial condition of his father and with a wish to earn for his own expenses, Mahesh decided to drop out from the school. His father and grandparents did not support his decision and encouraged him to study. He decided to run away so that nobody could exert pressure on him. After a complaint was lodged by his family, the Police started searching for him. After a few days of search, he was found to be working somewhere near the village. Upon questioning him, he refused to come with us and told that he was willingly working there. It was difficult to take the boy to the Police Station but we somehow managed to do so. We counselled and told him that his decision was not good for his own future and that he was in the category of child labour. His father was called and the boy went back. Mahesh's employer was taken into custody and further actions were taken by other officials involved".

- Abhijeet Kumar
ASI, Dhaulpur

**Actual Name has been Changed*

News Clips

For thousands in childcare homes, turning 18 is a nightmare[4]

16 Nov. 2019, Business Standard: A research study conducted by Udayan Care with support from UNICEF, Tata Trusts and Governments of five sampled states viz. Rajasthan, Delhi, Maharashtra, Gujrat and Karnataka revealed that the young people "struggle to cope and are often socially excluded, go through mental illness that is not addressed adequately and have phases of uncertainty and unemployment, not being independent and yet not knowing who to depend on". It came to the fore that many Government along with potential functionaries are not

[4] *https://www.business-standard.com/article/current-affairs/for-thousands-in-childcare-homes-turning-18-is-a-nightmare-here-s-why-119111601292_1.html*

sufficiently aware about legal provisions related to aftercare. The children who turn 18 and move out of the home, are entitled to 'aftercare'. This is mandated by the Juvenile Justice (Care and Provision of Children) Act, 2015 and is also in the Child Protection Scheme. Until the age of 21 years, children are State's responsibility and receive the required support. But as per the study findings, about 27% of the children revealed that they were not provided aftercare in any form and 44% of them reported that they were not consulted in their care and rehabilitation planning.

Rajasthan Government's Scheme to Ensure Beggar-Free Capital[5]

03 August, 2019, Jaipur: The Government will ensure to make Jaipur 'beggar-free Capital' by introducing a scheme which will involve rehabilitation package for the beggars.The scheme would have a complete financial outlay. In order to prevent the beggars from running from the rehabilitation centres, skill development and alternative job opportunities would be provided to them.

Activities of the Quarter

Session on Gandhi Jayanti

A brief session was organised at the Satellite Campus of SPUP on the occasion of 150th anniversary of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. Dr. Rajiv Gupta, Senior Consultant- Academics, CCP, threw light on life of Gandhi ji and his commendable contribution to the country. All the staffs of Centre for Child Protection and Centre for Peace and Conflict Studies gathered and attended the lecture and some of them shared their thoughts on the impact of Gandhian era in today's time.

Capacity Building Program in Dhaulpur from 17th to 19th Nov. 2019

Three days training and capacity building program was organised at Dhaulpur for Child Welfare Police Officers (CWPOs), Special Juvenile Police Units (SJPUs), Anti-Human Trafficking Units (AHTUs) and Special Public Prosecutors. The rationale of the training was to orient and sensitise the participants about issues related to safety and protection of children. The sessions in the training covered important aspects such as POCSO Act, JJ Act, child psychology and development, etc. The role of police and channel of referring the child were also discussed. Shri Mridul Kachawa, SP Dholpur interacted with training participants and making them aware about their roles and responsibilities, especially in case of children. The resource persons of the training program were Shri Dheeraj Verma, Trainer- RPA, Ms. Pradnya Deshpande, Child Psychologist, and the members of CCP team. Mr. Shakti Singh, Member Secretary, Dhaulpur educated the participants about Victim Compensation Scheme and role of Legal Service Authorities.

Celebration of children's week (14th-20th November, 2019)

CCP celebrated Children's week in different institutions. Different programs were organised on 14th Nov., one of which was a debate competition. It was organised in Kanoria Girls PG College wherein 200-250 girls participated. The theme of the debate was 'Baal Sanrakshan kiski Zimmedari- Rajya ya Samaj'(Child Protection-Whose responsibility: State or Society?). In another program of the day, an interactive session was organised on 'child protection and role of police' at RPA, Jaipur. Mr. Sanjay Nirala, Child Protection Specialist- UNICEF had an interaction with the participants and issues concerning the protection of children in the current scenario were discussed. In the evening, CCP team visited TAABAR Society for celebration. The children performed a play on importance of childhood and the impact of child labour on children's lives. Interactive sessions on Child Rights were also organised at St. Wilfred's college on 17th Nov. and at Bhawani Niketan Girls PG College, Jaipur on 18th Nov. along with poster making competition. Both events coordinated by CCP, witnessed participation of large number of students. On 20th Nov. International Children's day was celebrating at the centre. About 30 children from a local NGO were invited with whom Shri Hemant Priyadarshi (IPS), Director RPA, had an interaction about the importance of the day and basic rights of children. Play was also organised wherein, they took over the centre and played the role of CCP staff members.

[5] *https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/govt-scheme-to-ensure-beggar-free-capital/articleshow/70505455.cms*

Fourth Contact Class of Certificate Course in Child Protection

CCP commenced the fourth contact class of the certificate course in Child Protection on 23rd and 24th November, 2019. After a recap of the previous papers, classes were conducted covering topics such as different policies and schemes for children, monitoring mechanisms, welfare schemes for children covering National Child Labour Programmes. The facilitators for the classes were Mr. Dharmveer Yadav, Specialist in Child Protection, Mr. Dheeraj Verma, Trainer-RPA and Mr. Pradeep Kumar Jha, Joint Labour Commissioner, Labour Dept. Rajasthan.

Training of Community Liaison Group (CLG) Members at RPA, Jaipur

CCP organised a one-day meeting with the CLG members for their awareness generation and capacity building on Child Protection Issues on 24th November, 2019. The roles and responsibilities of the CLG members and challenges faced were discussed. The interaction was also based on the workable solutions in matters pertaining to the protection of children.

Advisory Council Meeting

The Centre for Child Protection (CCP), Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice (SPUP) organized its second 'Advisory Council Meeting' on 11th November 2019, Monday at 11.30 AM in the conference hall of Police Headquarters, Jaipur, Rajasthan. The meeting of advisory council was chaired by Sri Rajeev Sharma, (IPS), Additional Director General of Police (ADGP) and Director of CCP-SPUP. Dr. Bhupendra Singh (IPS), Director General of Police, Rajasthan, Smt. Sangeeta Beniwal, Chairperson, Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights (RSCPCR), Jaipur and Ms. Isabelle Bardem, Chief, UNICEF Rajasthan, Jaipur graced the meeting by their presence as special guest. All together 30 members participated in the advisory council meeting from various States. In this meeting CCP's achievements, challenges and futures course of actions were discussed.

Meeting with AHTUs and CWPOs on 25th November, 2019

The meeting was organised by CCP under the chairmanship of ADCP Mr. Dharmendra Singh Sagar and witnessed the participation of about 13 CWPOs and AHTUs members. The agenda of the meeting was to strengthen the FIRs related to child labour.

Meeting with School Management Committees (North) 26th-27th November, 2019

The meeting with the School Management Committee was held at Dwarikapuri, Shastri Nagar, Jaipur. Around 120 participants attended the meeting. The agenda of the meeting was to address the school dropouts, generating awareness about POCSO Act, child labour, etc. The Committee included parents and school teachers.

Picture Gallery

Meeting of the Advisory Council held at PHQ on11th Nov. 2019

Training of CLG Members at RPA, Jaipur on 24th November, 2019

Lecture on Gandhian Philosophy by Dr. Rajiv Gupta, Sr. Consultant-CCP, on 02nd Oct, 2019

Capacity Building Program in Dhaulpur from 17th to 19th Nov. 2019

Team CCP with resource persons from UNICEF after a session on 'Child Protection & Role of Police' on 14th November, 2019 at RPA Jaipur

Children from a local NGO on International Children's Day on 20th November, 2019

Shri Hemant Priyadarshi (IPS), Director-RPA with children on International Children's Day on 20th November, 2019

Debate Computation Organised by CCP at Kanoria College on 14th November, 2019

Twitter: https://twitter.com/CCP_jaipur *Facebook: https://www.facebook.com/Cenreforchildprotection/*

'SETU' Advisory Board:

Dr. Rajiv Gupta
Former Professor,
University of Rajasthan, Jaipur &
Senior Consultant - CCP,
Chairperson, SETU Advisory Board

Dr. Manju Singh
Head, Deptt. of Sociology,
Banasthali University

Mr. Radhakant Saxena
IG Prisons (Retd.).

Dr. Sanjay Nirala
Child Protection Specialist, UNICEF

Mr. K.K. Tripathy
Sr. Consultant-CCP

Editor
Ms. Aditi Vyas
Consultant-Research &
Documentation, CCP Jaipur

Contribution & Support
CCP Team

We encourage readers to do a short course in Child Protection to enhance your understanding on child protection issues. To know more about CCP and the courses offered by the centre, please visit our website: http://www.centreforchildprotection.org
Feel free to contact us at: +91 8619672924/0141-2300758
We invite articles, case studies, success stories, suggestions, etc. from the readers on child protection related issues. Please send your contributions to: writetoccpjaipur@gmail.com

Premier#9783855551